~~PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA~~

Authenticated.

B.S. Yadav

(BALRAM SINGH YADAV)
Minister of State in
the Ministry of Mines

BALRAM SINGH YADAV
Minister of State-Independent Charge
Ministry of Mines
Government of India

New Delhi, the 6th. August ~~July~~, 1991.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (i)

- - - -

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
(KHAN VIBHAG)

- - -

New Delhi, the 1.4.91 ~~20th Feb. '91~~.

NOTIFICATION

G.S.R. ....197 (E)........ In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(1) in rule 9, in sub-rule (2), -

(i) in clause (d), after the proviso, the following proviso shall be added, namely :-

"Provided further that in case the applicant is a partnership firm or a private limited company such certificate shall be furnished by all partners of the partnership firm or, as the case may be, all members of the private limited company";

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

"(g) a statement in writing that the applicant, where the land is not owned by him, has obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting prospecting operations:

Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the Government :

Provided further that the consent of the owner for starting prospecting operations in the area or part thereof may be furnished after execution of the prospecting licence but before entry into the said area.";

(2) rule 10 A shall be omitted;

(3) in rule 11, in sub-rule (1), for the words "twelve months" the words "two years" shall be substituted;

(4) in rule 13, sub-rules (2) and (3) shall be omitted;

(5) after rule 13, the following rule shall be inserted, namely :-

"13 A. Status of grant on death of the applicant for prospecting licence. - (1) Where an applicant for the grant of a prospecting licence dies before the order granting him a prospecting licence is passed, the applicant for the grant of a prospecting licence shall be deemed to have been made by his legal representative.

(2) In the case of an applicant in respect of whom an order granting a prospecting licence is passed but who dies before the deed referred to in sub-rule (1) of rule 15 is executed, the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased."

(6) In rule 14, in sub-rule (1), in clause (ii), after the proviso, the following proviso shall be added, namely :-

"Provided further that if any quantity in excess of the quantities specified in sub-clause (b) and sub-clause (c) of the proviso is won and carried away, the State Government may recover the cost of the excess quantity of minerals won and carried away.";

(7) in rule 22, in sub-rule (3), in clause (i), -

(i) to sub-clause (d), the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that in case the applicant is a partnership firm or a private limited company, such certificate shall be furnished by all partners of the partnership firm or, as the case may be, all members of the private limited company.";

(ii) in sub-clause (e), after the words "Central Government" the words "or duly authorised officer" shall be inserted.

(iii) for sub-clause (h), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"(h) a statement in writing that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner for starting mining operations:

Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the Government:

Provided further that the consent of the owner for starting mining operations in the area or part thereof may be furnished after execution of the lease deed but before entry into the said area:

Provided also that no further consent would be required in the case of renewal where consent has already been obtained during grant of the lease;";

(8) In rule 22 B, in sub-rule (1) after the words "Central Government" the words "or duly authorised officer" shall be inserted.

(9) in rule 22 BB, -

(i) in sub-rule (1), for the words "approval to the authority" the words "approval through the authority" shall be substituted;

(ii) in sub rule (2), for the words "Any person", the words "Notwithstanding the provisions of rule 54, any person" shall be substituted:

......4/-

(10) in rule 24, -

(i) in sub-rule (1), for the words, "twelve months", the words "two years" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6), for the words, "twelve months" the words "two years" shall be substituted;

(11) in rule 24A, in sub-rule (6), for the words "If an applicantion for first renewal", the words "Notwithstanding the provisions of sub-rule (5), if an application for renewal" shall be substituted;

(12) after rule 25, the following rule shall be inserted, namely:-

"25A. Status of the grant on the death of applicant for mining lease - (1) Where an applicant for grant or renewal of mining lease dies before the order granting him a mining lease or its renewal is passed, the application for the grant or renewal of a mining lease shall be deemed to have been made by his legal representative.

(2) In the case of an applicant in respect of whom an order granting or renewing a mining lease is passed, but who dies before the deed referred to in sub-rule (1) of rule 31 is executed, the order shall be deemed to have been passed in the name of the legal representative of the deceased.";

(13) in rule 26, in sub-rule (3), for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;

(14) in rule 27, -

(i) in sub-rule (1), for clause (n), the following clause shall be substituted, namely :-

"(n) The lessee shall store properly the unutilized or non-saleable sub-grade ores or minerals for future beneficiation;";

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

......5/-

"(5) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under section 9 or payment of dead rent as required under section 9A or commits a breach of any of the conditions specified in sub-rules (1), (2) and (3), except the condition referred to in clause (f) of sub-rule (1), the State Government shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or dead rent or remedy the breach, as the case may be, within sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or dead rent is not paid or the breach is not remedied within the said period, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, determine the lease and forfeit the whole or part of the secruity deposit.";

(15) in rule 28, for the Explanation, the following Explanations shall be substituted, namely :-

"Explanation 1: Where the non-commencement of the mining operations within a period of one year from the date of execution of mining lease is on account of-

(a) delay in acquisition of surface rights; or
(b) delay in getting the possession of the leased area; or
(c) delay in supply or installation of machinery; or
(d) delay in getting financial assistance from banks, or any financial institutions; or
(e) ensuring supply of the mineral in an industry of which the lessee is the owner or in which he holds not less than 50% of the controlling interest;

and the lessee is able to furhish documentary evidence supported by a duly sworn affidavit, the State Government may consider if there are sufficient reasons for non-commencement of operations for a continuous period of more than one year.

Explanation 2 : Where the discontinuance of mining operations for a continuous period of one year after the commencement of such operations is an account of -

(a) orders passed by any statutory or judicial authority; or

(b) operations becoming highly uneconomical; or

(c) Strike or lock out;

and the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn affidavit, the State Government may consider if there are sufficient reasons for discontinuance of operations for a continuous period of more than one year,";

(16) after rule 28, the following rule shall be inserted, namely :-

"28A. (1) Where a lessee is unable to commence the mining operations within a period of one year from the date of execution of the mining lease, or discontinues mining operations for a period of exceeding one year for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government explaining the reasons for the same at least within six months from the date of its lapse:

Provided that the lease has not been revived under this provision for more than twice during the entire period of the lease,

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompained by a fee of Rs. 500/-

(3) The State Government on receipt of an application made under sub-rule (1) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reasons for non-commencement of mining operations or discontinuance thereof taking into consideration the matters specified in the Explanation to rule 28, pass an order reviving the lease.";

(17) in rule 29, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) clause (c) in the second proviso shall be omitted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

......7/-

"Provided also that surrender of the lease area by the lessee shall be permitted only thrice during the period of the lease on fulfilling the conditions -

(i) that at least a period of five years has elapsed since the last surrender; and

(ii) that the provisions of the mining plan including the environment management plan thereof have been complied with.";

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted namely :-

"(3) Every application for the surrender of a part of the lease-hold area shall be disposed of within twelve months from the date of its receipt and, if it is not so disposed of within that period, it shall be deemed to have been refused.";

(18) in rule 35, for the words "held under mining lease" the words "of a mining lease" shall be substituted;

(19) in rule 37, -

(i) in sub-rule (1), after the words "the State Govt." the words "and in the case of mining lease in respect of any mineral specified in the First Schedule to the Act, without the previous approval of the Central Government" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1A), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

"(a) prepare a mining plan and programme of extraction duly approved by an authority appointed by the Central Government in cases where such a plan and programme has not been already approved by the competent authority and also agrees to undertake mining operations in accordance with the approved mining plan;";

(20) in rule 42, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) Except with the previous approval of the Central Government, no prospecting licence or mining lease shall be granted in respect of any mineral specified in the First Schedule to the Act.";

(21) in rule 45, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ia) mining operations shall be undertaken in accordance with the duly approved mining plan;";

*(22) in rule 54, in Explanation, after the words "for transfer", the words "or surrender" shall be inserted;

(23) in rule 55, for sub-rules (1) and (2) the following sub-rules shall be substituted, namely :-

"(1) On receipt of an application for revision under rule 54, copies thereof shall be sent to the State Govt. or other authority and to all the impleaded parties calling upon them to make such comments as they may like to make within three months from the date of issue of the communication, and the State Government or other authority and the impleaded parties, while furnishing comments to the Central Government shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties;

Provided that in the case of deemed refusal, the Central Government may pass such order in relation thereto, as it may deem appropriate.

(2) Comments received from any party under sub-rule (1) shall be sent to the other parties for making such further comments as they may like to make within one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties."

(24) in rule 59, in sub-rule (1), -

(i) clause (b) shall be omitted;

(ii) the following clause shall be inserted after clause (e), namely :-

"(f) which has been reserved by the Government or any local authority for any purpose other than mining";

(iii) the following proviso shall be inserted after the second proviso under sub-clause (ii), namely :-

"provided also that where an area held under prospecting licence is granted in terms of sub-section(1) of section 11, no notification under clause (ii) shall be required to be issued.";

(25) in rule 64A, for the words "fifteen percent" the words "twenty four percent" shall be substituted;

(26) in Schedule I, -

(A) in Form I, in paragraph 3, for the entry (xviii), the following entry shall be substituted, namely :-

"(xviii) A report giving the details of prospecting carried out in the area together with assessment of the ore reserves, geological plans, results of chemical analysis of the representative samples, and boreholes and logs .";

(B) in Form K, -

(i) in Part VI, in paragraph 3, for the words "fifteen per cent" the words "twenty-four per cent" shall be substituted;

(ii) in Part VII, in paragraph 11B, for the words and figure "Mines Act, 1952" the words and figures "Mines Act, 1952 and the rules made thereunder" shall be substituted;

(iii) in Part VIII, in paragraph 3, -

(a) for the portion beginning with the words "where the mining lease" and ending with the words "option of the lessee/lessees;" the following shall be substituted namely :-

......10/-

"The mining lease is renewable in terms of the provisions of the Act and the rules made thereunder.";

(b) for the words and figure with letter, "in accordance with rule 24A of the said rules", the following words shall be substituted, namely :-

"in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder";

(e) in Form 'N', for items 3,4 and 4A the following items shall be substituted namely :-

"3. (a) Number and date of order and authority passing the order against which revision application is filed;

(b) Date of communication of the order to the applicant.

4. (a) If the application is in respect of deemed rejection, the date of receipt of the application for mineral concession, surrender or transfer by the State Govt.;

(b) If the application is in respect of an order made on an application for mineral concession, specify -

(i) whether for grant or renewal;

(ii) whether for prospecting licence or for mining lease;

(iii) date of such application;

(iv) if for renewal, the number and date of letter of the State Government conveying the grant and the date upto which licence/lease was granted;

(v) in the case of second or subsequent renewal, the number and date of letter of earlier grant(s) and date(s) upto which grant(s) have been made.".

(SURENDRA MISHRA)
JOINT SECRETARY

File No. 7(1)/90-M.VI

Foot Note:

The principal rule was amended earlier. A list of such amending notifications is enclosed.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road,
New Delhi.

THE LIST

1. Notification No. 1/34/71-M.6 dt. 21.5.73
2. Notification No. M.II-152(37)/62 dt. 22.7.63
3. Notification No. 1(34)/68-M.II dt. 23.5.70
4. Notification No. 1(26)/71-M.VI dt. 14.2.72
5. Notification No. 1(2)/68-M.II dt. 23.2.68
6. Notification No. 1(3)/68-M.II dt. 30.3.68
7. Notification No. M.II-169(44)/61 dt. 7.9.61
8. Notification No. 1(22)/62-M.II dt. 18.7.63
9. Notification No. 1(74)/75-M.VI dt. 2.5.79
10. Notification No. 1(3)/68-M.VI dt. 17.1.68
11. Notification No. 1(33)/67-M.VI (Vol.II) dt.22.7.71
12. Notification No. M.II-169 (44)/61 dt. 6.9.63
13. Notification No. 1(3)/71-M.VI dt. 6.9.71
14. Notification No. 1(51)/65-M.II dt. 26.2.69
15. Notification No. M.II-152(11)/62 dt. 6.5.63
16. Notification No. 3(51)/74-M.VI dt. 16.1.80
17. Notification No. M.II-152(58)61 dt. 30.4.63
18. Notification No. M.II-152(33)/60 dt. 24.9.63
19. Notification No. 1(26)/66-M.VI dt. 4.3.67
20. Notification No. 7(4)/85-M.VI dt. 22.9.86
21. Notification No. 7(1)/86-M.VI dt. 10.2.87
22. Notification No. 19(9)/86-M.VI dt. 14.10.87
23. Notification No. 6(3)/87-M.VI dt. 21.12.87
24. Notification No. 7(2)/87-M.VI dt. 13.4.88
25. Notification No. 7(1)/89-M.VI dt. 19.10.89

लोक सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागज

अधिप्रमाणित

(बलराम सिंह यादव) राज्य मंत्री, खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 91।

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

बलराम सिंह यादव
खान राज्य मंत्री
(स्वतन्त्र प्रभार)
भारत सरकार
नई दिल्ली

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
...

नई दिल्ली, दिनांक 1.4.1991

अधिसूचना

सा०का०नि०197(E) केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1991 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, -

   (1) नियम 9, उपनियम (2) में, -

   (i) खण्ड (ध) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

   "परन्तु यह और कि यदि आवेदक कोई भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऐसा प्रमाणपत्र, यथास्थिति, भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जाएगा ।"

.../=

94

(1) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

- (छ) लिखित में यह कथन कि आवेदक ने, जहां भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, वहां सतह अधिकार प्राप्त कर लिए हैं या पूर्वेक्षण संक्रिया आरम्भ करने के लिए स्वामी से उसकी सहमति अभिप्राप्त कर ली है :

परन्तु यह कि जहां भूमि सरकार के स्वामित्व में है वहां ऐसे कथन की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उस क्षेत्र या उसके किसी भाग में पूर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए स्वामी की सहमति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन के पश्चात् किन्तु उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व दी जा सकेगी । ;

(2) नियम 10 क का लोप किया जाएगा ;

(3) नियम 11, उप नियम (1) में, "बारह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) नियम 13 में उप नियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(5) नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"13 क, <u>पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदक की मृत्यु पर अनुदान</u> की प्रास्थिति - (1) जहां पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदान के किसी आवेदक की, उसे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदान आदेश पारित होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के आवेदन को उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया समझा जाएगा ।" ;

(2) ऐसे आवेदक की दशा में जहां उसे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर करने का आदेश पारित कर दिया जाता है किन्तु वह नियम 15 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां आदेश को मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के नाम में पारित किया गया समझा जाएगा ।;

(6) नियम 14, उपनियम (1), खण्ड (i) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि यदि परन्तुक के उपखण्ड(ख) और उपखण्ड (ग) में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक किसी मात्रा को जीता जाता है और उठाकर ले जाया जाता है तो राज्य सरकार अधिक मात्रा में जीते गए और उठाकर ले जाए गए खनिजों की लागत को वसूल कर सकेगी ।";

(7) नियम 22, उपनियम (3) खण्ड (i) में, -

(i) उपखण्ड(ध) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि यदि आवेदक कोई भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है तो ऐसा प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जाएगा ।";

(ii) उपखण्ड (ड•) में ------------केन्द्रीय सरकार शब्दों के पश्चात् या सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

-16-

(iii) उपखण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा अर्थात् :-

"(ज) लिखित में यह कथन कि आवेदक ने, जहां भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है वहां सतह अधिकार प्राप्त कर लिए हैं या खनन संक्रिया आरम्भ करने के लिए स्वामी से उसकी सहमति अभिप्राप्त कर ली है ;

परन्तु यह कि जहां भूमि सरकार के स्वामित्व में है वहां ऐसे कथन की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह और कि उस क्षेत्र या उसके किसी भाग में खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए स्वामी की सहमति पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात किन्तु उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व दी जा सकेगी :

परन्तु यह और भी कि नवीकरण की दशा में वहां और सहमति की आवश्यकता नहीं होगी जहां पट्टे के अनुदान के दौरान सहमति पहले ही अभिप्राप्त कर ली गई है";"

(8) नियम 22 ख, उपनियम (1) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

(9) नियम 22 ख में, -

﴾.﴿ उपनियम ﴾1﴿ में "अधिसूचित प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए "शब्दों के स्थान पर" अधिसूचित प्राधिकारी के माध्यम से अनुमोदन के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

﴾ii﴿ उपनियम ﴾2﴿ में "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर नियम 54 के के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई व्यक्ति शब्द रखे जाएंगे ;

﴾10﴿ नियम 24 में, -

﴾i﴿ उपनियम ﴾1﴿ में, "बारह मास शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

﴾ii﴿ उपनियम ﴾6﴿ में, "बारह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

﴾11﴿ नियम 24के, उपनियम ﴾6﴿ में "खनन पट्टों के प्रथम नवीकरण के किसी आवेदन का" शब्दों के स्थान पर "उपनियम ﴾5﴿ के उपबन्धों के होते हुए भी, खनन पट्टों के प्रथम नवीकरण के किसी आवेदन का" शब्द रखे जाएंगे ;

﴾12﴿ नियम 25 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"25क <u>खनन पट्टे के आवेदक की मृत्यु पर अनुदान की प्रास्थिति</u> -

﴾.﴿ जहां खनन पट्टे के अनुदान या नवीकरण के किसी आवेदक की उसे खनन पट्टे के अनुदान या उसके नवीकरण के आदेश करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां खनन पट्टे के अनुदान या उसके नवीकरण के आवेदन को उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया समझा जाएगा ।

(2) किसी ऐसे आवेदक की दशा में जिसकी बाबत खनन पट्टे के अनुदान या उसके नवीकरण का आदेश कर दिया जाता है, किन्तु खण्ड 31 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट विलेख का निष्पादन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो आदेश को मृतक के विधिक प्रतिनिधि के नाम में किया गया समझा जाएगा ।

(13) नियम 26, उपनियम (3) में, "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(14) नियम 27 में, -

(i) उपनियम (1) में, खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ढ) पट्टेदार अनुपयुक्त या विक्रय न किए गए उप-श्रेणी के अयस्कों या खनिजों का भावी सज्जीकरण के लिए समुचित रूप से भण्डारकरण करेगा ;

(ii) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :-

(5) यदि पट्टेदार नियम . . धारा 9 की अपेक्षानुसार स्वामित्व के संदाय में या धारा 9क की अपेक्षानुसार अनिवार्य भाटक के संदाय में व्यतिक्रम करता है या उपनियम (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट शर्त के सिवाय उपनियम (1), (2) और/(3) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी का

उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को, यथास्थिति, स्वामित्व या अनिवार्य भाटक या उल्लंघन की क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा करते हुए, साठ दिन की सूचना देगी और यदि उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर स्वामित्व या अनिवार्य भाटक या उल्लंघन की क्षतिपूर्ति के लिए संदाय नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार उन कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हैं, पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी और सम्पूर्ण निक्षिप्त प्रतिभूति या उसके किसी भाग को जब्त कर सकेगी ।"

(15) नियम 28 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण I : जहां खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं निम्नलिखित की बाबत आरम्भ नहीं की जाती हैं :-

(क) सतह अधिकारों के अर्जन में विलम्ब ; या

(ख) पट्टाकृत क्षेत्र के कब्जा मिलने में विलम्ब ; या

(ग) मशीनरी की पूर्ति या प्रतिष्ठापन में विलम्ब ; या

(घ) बैंकों या किन्ही वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विलम्ब ; या

(ङ) किसी ऐसे उद्योग में खनिजों की पूर्ति सुनिश्चित करना, जिसका पट्टेदार स्वामी है या जिसमें उसके 50 प्रतिशत से अन्यून नियंत्रित हित हैं ; और पट्टेदार सम्यक रूप से शपथ

समर्पित
पत्र द्वारा/कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहता है वहां राज्य सरकार यह विचार करेगी कि क्या एक वर्ष की अवधि से अधिक की निरंतर अवधि के लिए खनन संक्रियाएं आरम्भ न करने के पर्याप्त कारण हैं ।

स्पष्टीकरण 2 : जहां ऐसी संक्रियाओं के आरम्भ के पश्चात एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए खनन संक्रियाएं निम्नलिखित की बाबत बंद कर दी जाती हैं,

(क) किसी कानूनी या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा आदेश किए जाते हैं ; या

(ख) संक्रियाएं अत्यधिक खर्चीली हो जाती हैं ; या

(ग) हड़ताल या तालाबंदी हो जाती है ;

और पट्टेदार सम्यक रूप से शपथ पत्र द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहता है, वहां राज्य सरकार यह विचार कर सकेगी कि क्या एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए संक्रियाएं बन्द रखने के पर्याप्त कारण हैं ।

(16) नियम 28 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 28क(1) जहां कोई पट्टेदार खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं के आरम्भ करने में अपने नियंत्रण से परे असफल रहता है, या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए खनन संक्रियाएं बन्द रखता है, वहां वह ऐसे व्यपगन की तारीख से कम से कम छह मास की अवधि के भीतर कारणों को स्पष्ट करते हुए, राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह कि पट्टे को इस उपबन्ध के अधीन पट्टे की समस्त अवधि के दौरान दो बार से अधिक पुन: प्रवर्तित नहीं किया गया है ।

101

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ 500 रुपए की फीस लगी होगी ।

(3) राज्य सरकार, उपनियम (1) के अधीन किए गए ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर और खनन संक्रियाएं आरम्भ न करने या उन्हें बन्द करने के कारणों की पर्याप्तता और असलियत के संबंध में समाधान कर लेने पर, नियम 28 के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट विषयों पर विचार करेगी और पट्टे के पुन: प्रवर्तन का आदेश पारित करेगी ।

17. नियम 29 में,-

(i) उपनियम (1) में,-

(क) खण्ड (क) के दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि पट्टेदार को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर, पट्टे की अवधि के दौरान केवल तीन बार पट्टे के क्षेत्र को अभ्यर्पण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा -

(i) अन्तिम अभ्यर्पण से कम से कम पांच वर्ष की अवधि व्यपगत हो गई हो, और

(ii) खनन योजना जिसके अन्तर्गत उसकी पर्यावरण प्रबन्ध योजना सम्मिलित है, के उपबन्धों का अनुपालन कर लिया जाता है ।" ;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3) पट्टाधृत क्षेत्र के किसी भाग के अभ्यर्पण के प्रत्येक आवेदन को, उसकी प्राप्ति की तारीख से बारह

मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा, और यदि उसका उस अवधि के भीतर निपटान नहीं किया जाता है तो उसे नामंजूर किया गया समझा जाएगा ।" ;

§18§ नियम 35 में, "खनन पट्टे के अधीन पारित" शब्दों के के स्थान पर "खनन पट्टे के" शब्द रखे जाएंगे ;

नियम 37 में, -

§i§ उप-नियम (i) में, "राज्य सरकार की लिखित पूर्व-सहमति के बिना" शब्दों के पश्चात् "राज्य सरकार की लिखित पूर्व-सहमति के बिना और अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत खनन पट्टे की दशा में केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

§ii§ उप नियम §1क§ में, खण्ड §क§ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् ;-

§क§ ऐसे मामलों में, जहां खनन योजना और निकालने के कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पहले से अनुमोदित नहीं हैं, और अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियाएं करने का करार भी करता है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी

के सम्यक अनुमोदन से खनन योजना और खनिज निकालने के कार्यक्रम तैयार करना ;

(20) नियम 42 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बावत कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।"

(21) नियम 45 में, खण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन: स्थापित किया जाएगा ; अर्थात :-

"(1क) खनन संक्रिया सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार की जाएगी ;

(22) नियम 54 के स्पष्टीकरण में "अन्तरण के लिए" शब्दों के स्थान पर "अन्तरण या अभ्यर्पण के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(23) नियम 55 में, उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) नियम 54 के अधीन पुनरीक्षण के किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उसकी प्रतियां राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी और सभी अभियोजित पक्षकारों को, यह मांग करते हुए कि वे इस सूचना के जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं, भेजी जाएंगी और राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी और

अभियोजित पक्षकार, केन्द्रीय सरकार को टिप्पणियां भेजते समय, टिप्पणियों की एक प्रति अन्य पक्षकारों को भी उसके साथ पृष्ठांकित करेगी :

परन्तु यह कि इंकार समझ लिए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार उसकी बाबत ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जैसा वह समुचित समझे ।"

(2) उप नियम (1) के अधीन किसी पक्षकार से प्राप्त टिप्पणियां अन्य पक्षकारों को, संसूचना के जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसी और टिप्पणियां भेजने के लिए मांग की जाएगी जिन्हें वे भेजना चाहें, और आगे टिप्पणियां भेजते समय ऐसे पक्षकार अन्य सभी पक्षकारों को भेजेंगे । "

(24) नियम 59, उपनियम (1) में , -

(i) खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित खण्ड, खण्ड (ङ) के पश्चात अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(च) खनन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, जिसे सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आरक्षित रख लिया गया है " ;

§iii§ उपखण्ड §ii§ के नीचे दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और भी कि जहां धारा II की उप धारा §I§ के निबन्धनों में अनुदत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन धारित कोई क्षेत्र है वहां खण्ड §ii§ के अधीन किसी अधिसूचना के जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । ";

§25§ नियम 64 क में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "चौबीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

§26§ अनुसूची । में, -

§क§ प्ररूप ।, पैरा 3 में, §XViii§ प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ,अर्थात् :-

"§XViii§ अयस्क आरक्षिति भूवैज्ञानिक योजना, प्रतिनिधि नमूनों के रासायनिक विश्लेषण के परिणाम और वेधछिद्र और लट्ठों के निर्धारण के साथ-साथ क्षेत्र में किए गए पूर्वेक्षण के ब्यौरे देते हुए एक रिपोर्ट । ";

§ख§ प्ररूप ट में, -

§i§ भाग ।, पैरा 3 में, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "चौबीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

§ii§ भाग VII पैरा II ख में, "खान अधिनियम, 1952" शब्दों और अंकों के स्थान पर "खान अधिनियम, 1952 और तद्धीन बनाए गए नियमों" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) भाग VIII पैरा 3 में,- (क) "जहां खनन पट्टा" शब्दों से आरम्भ होने वाले "और नवीकृत किया जा सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- "खनन पट्टा अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के निबंधनों और उपबंधों में नवीकरण योग्य है ।"

(ख) "उपनियमों के नियम 24क के अनुसार" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात :-

"अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार" ।

(ग) प्ररूप "ढ" में, मद 3,4 और 4क का लोप किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात :- ।

3, (क) उस आदेश का संख्यांक और तारीख तथा व प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया है ।

(ख) आवेदक को आदेश की संसूचना की तारीख ।

4. (क) यदि आवेदन इंकार समझे जाने की बाबत है तो राज्य सरकार द्वारा खनन रियायत, अभ्यर्पण या अन्तरण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख ;

(ख) यदि आवेदन खनिज रियायत के लिए किसी आवेदन के आदेश की बाबत है है तो निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें , -

(ग) (1) क्या नवीकरण अनुदान करने के लिए है ;

(2) क्या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के लिए है ;

(3) ऐसे आवेदन की तारीख ;

(1) यदि नवीकरण के लिए है तो राज्य सरकार के अनुदान करने वाले पत्र का संख्यांक और तारीख, तथा वह तारीख जिस तक अनुज्ञप्ति पट्टा अनुदत्त किया गया है ;

(2) दूसरे और पश्चात्‌वर्ती नवीकरण की दशा में, पूर्वोत्तर अनुदानों के पत्र का संख्यांक और तारीख तथा वह तारीख (तारीखें) जिस तक वे अनुदत्त किए गए हैं ।

ह0/—
(सुरेन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

फा0 संख्या 7(1)/90- खान-6

108

सूची

पाद टिप्पण :- मूल नियमों का पहले भी संशोधन किया गया है। ऐसे संशोधनों की सूची संलग्न है ।

1.	अधिसूचना सं0	1/34/71- खान-6	दिनांक	21.5.1973
2.	अधिसूचना सं0	खान-2-152/37/62	दिनांक	22.7.1963
3.	अधिसूचना सं0	1/34/68/-खान-2	दिनांक	23.5.1970
4.	अधिसूचना सं0	1/26/71-खान-6	दिनांक	14.2.1972
5.	अधिसूचना सं0	1/2/68-खान-2	दिनांक	23.2.1968
6.	अधिसूचना सं0	1/3/68- खान-2	दिनांक	30.3.1968
7.	अधिसूचना सं0	खान-2. 169/44/61	दिनांक	7.9.1961
8.	अधिसूचना सं0	1/22/62-खान-2	दिनांक	18.7.1963
9.	अधिसूचना सं0	1/74/75-खान-6	दिनांक	2.5.1979
10.	अधिसूचना सं0	1/3/68-खान-6	दिनांक	17.1.1968
11.	अधिसूचना सं0	1/33/67-खान-6(पार्ट-2)	दिनांक	22.7.1971
12.	अधिसूचना सं0	खान-2-169/44/61	दिनांक	6.9.1971
13.	अधिसूचना सं0	1/3/71-खान-6	दिनांक	6.9.1963
14.	अधिसूचना सं0	1/51/65-खान-2	दिनांक	26.2.1969
15.	अधिसूचना सं0	खान-2-152/11/62	दिनांक	6.5.1963
16.	अधिसूचना सं0	3/51/74-खान-6	दिनांक	16.1.1980
17.	अधिसूचना सं0	खान-2-152/58/61	दिनांक	30.4.1963
18.	अधिसूचना सं0	खान-2-152/33/60	दिनांक	24.9.1963
19.	अधिसूचना सं0	1/26/66-खान-6	दिनांक	4.3.1967
20.	अधिसूचना सं0	7/4/85-खान-6	दिनांक	22.9.1986
21.	अधिसूचना सं0	7/1/86-खान-6	दिनांक	10.2.1987
22.	अधिसूचना सं0	19/9/86-खान-6	दिनांक	[illegible].10.1987
23.	अधिसूचना सं0	6/3/87-खान-6	दिनांक	21.12.1987
24.	अधिसूचना सं0	7/2/87-खान-6	दिनांक	15.4.1988
25.	अधिसूचना सं0	7/1/89-खान-6	दिनांक	19.10.1989